

5/8/25

पञ्जाबली पेश हुई, वकील लाली इपरस्थित वकील
लाली ने बाद पर कोई कार्यवाही नहीं चाली
या निवेदन का नोट प्रेषित किया अतः
वकील लाली के निवेदन अनुसार लाली नोट
प्रेषित में खारिज किया जाता है पञ्जाबली
केसल शुमार लाली नैलर से काम है।

Not Press



कानूनी प्रवक्ता,

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, धुपलसागर